बउनवान ..... बनाम .....

धारा ..... पुस्तक सं. ..... ऑनलाईन सं. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
29.5.24	पत्रावली पेशी पर निकाल हेतु पेश हुई। श्री [illegible] एवं [illegible] प्रतिवादी के अधिवक्ता [illegible] के माध्यम से पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ ली गई अतः पुनः शपथ कराने हेतु पक्षकारों को अपने अपने अधिवक्ताओं की उपस्थिति में शपथ दिलाया गया, तदुपरान्त श्री [illegible] पक्षकारान द्वारा मुनासिब समझौता वाद निर्णीत करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में सम्पूर्ण कागजात भी प्राप्त होकर पत्रावली में उपलब्ध है। मौके पर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध कागजात सरकार पक्षकारों के हलफनामे, इकरारनामा व समझौता पक्षकारान के अनुसार दावा स्वीकार करना न्यायोचित समझता हूँ। अतः दावा स्वीकार किया जाकर, अन्तिम डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर प्रा. पत्र में लिया गया। पत्रावली पश्चात शुल्क की जाकर छान बीन दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी सांगोद (...)	